न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/205

हेमराज पुत्र गोपीलाल जाति धोबी निवासी ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

–अपीलांट

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. राजाराम पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
3. रामप्रताप पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
4. सूरजमल पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
5. हरीराम पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
6. प्रहलाद पुत्र रामनारायण जाति धाकड़ निवासी उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
7. रामकंवरी विधवा रामनारायण जाति धाकड़ निवासी उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
8. दिलखुश पुत्र बजरंग जाति धाकड़ निवासी उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
9. गुड्डी बाई पत्नी बजरंग जाति धाकड़ निवासी उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
10. ओमप्रकाश पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड़ निवासी उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
11. धापू बाई पत्नी शिवनारायण निवासी रूणजी तहसील पचपहाड जिला झालावाड़ राज0
12. गिरीराजबाई पत्नी शम्भूलाल जाति धाकड़ निवासी उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः– 1.श्री संजय पाटोदी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अरूण कुमार जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 12 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 24.11.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 7/2022 में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

जिला कोटा

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 लगायत 12 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी कम 1 लगायत 9 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि वाके माल ग्राम उण्डवा पटवार हल्का उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी मे खाता संख्या 638 में स्थित खसरा नं. 2074 की रकबा 1.36 है० भूमि स्थित है एवं उक्त भूमि के उत्तर तरफ प्रार्थी कम 10 व 11 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 310 में स्थित खसरा नं. 2069 की रकबा 0.07 है०, खसरा नं. 2070 की रकबा 0.86 है0, खसरा नं. 2072 की रकबा 0.01 है० किस्म गै०मु० चाह, खसरा नं. 2073 की रकबा 0.90 है० भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्ते मे चली आ रही है। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजीयात के उत्तर तरफ अप्रार्थी के खाते एवं कब्जे की आराजी खाता संख्या 747 में स्थित खसरा नं. 2037 की रकबा 0.44 है० भूमि स्थित है जिसके उत्तर तरफ धरनावद उण्डवा रोड़ स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि को काश्त करने हेतु हल, कुली, बेलगाडी, ट्रेक्टर आदि ले जाने का कदीमी रास्ता प्रारम्भ से ही धरनावद उण्डवा रोड़ के दक्षिण तरफ स्थित खसरा नं. 2037 व 2038 की भूमि के मध्य सीमा से होता हुआ खसरा नं. 2037 की भूमि के दक्षिण पूर्वी कोने से होकर पूर्व दिशा की ओर प्रार्थी कम 9 व 10 की भूमि पर जाकर मिलता है और प्रार्थी उसी रास्ते का प्रारम्भ से ही उपयोग उपभोग करते हुए प्रार्थी की कृषि भूमि को काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित कदीमी रास्ते को अप्रार्थी ने उनके खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि के उत्तर तरफ सड़क के लगवा पत्थर की कच्ची दीवार करके बंद कर दिया है और मौके पर उक्त रास्ता खसरा नं. 2038 की तरफ 6 फुट चौड़ाई में खुला हुआ है एवं रास्ते की 6 फुट भूमि को अप्रार्थी ने पत्थर कोट करके अवरूद्ध कर दिया है जिसकी वजह से प्रार्थीगण उसके खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि को काश्त नहीं कर पा रहा है वर्तमान मे प्रार्थी की कृषि भूमि पड़त पड़ी हुई है। उक्त कदीमी रास्ते के अलावा प्रार्थी का ओर कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। जिसकी वजह से प्रार्थी उसके खाते एवं कब्जे काश्त की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को काश्त नहीं कर पा रहा है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि के उपरोक्त वर्णित रास्ते को खुलासा करवाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार साहब, रामगंजमण्डी के समक्ष दिनांक 06.10.2021 को प्रस्तुत किया गया था जिसके सम्बन्ध मे श्रीमान तहसीलदार साहब, रामगंजमण्डी द्वारा उक्त रास्ते की मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी से मंगवाई गई थी उक्त मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 10.10.2021 को तैयार की गई थी जिसके अनुसार मौके पर 2038 के पूर्व की ओर एक कदीमी रास्ता चालू था जो खसरा नं. 2038, 2037 के मध्य होकर जाता था। खसरा नं. 2038 व 2037 के खातेदारो ने पूर्व मे आपसी सहमति से रास्ता निकाला हुआ था उसके लिये अपने खाते मे से पृथक से बराबर आधी आधी जगह छोड़ी हुई थी। मौके पर 2038 के खातेदार द्वारा रास्ते के लिये जगह छोड़कर पूर्व की ओर पत्थर की कोट की हुई है। खसरा नं. 2037 के खातेदार हेमराज पुत्र गोपीलाल धोबी निवासी उण्डवा द्वारा रास्ते के लिये छोड़ी गई जगह को कोट करवाकर पत्थर से बंद कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचने की समस्या उत्पन्न हो रही है। उक्त

मौका रिपोर्ट के अनुसार भी प्रार्थीगण का उनकी भूमि पर पहुंचने के एक मात्र रास्ते को अप्रार्थी ने पत्थर की कोट करके बंद कर दिया है। प्रार्थी ने गत तीन माह पूर्व अप्रार्थी से उक्त रास्ते को खुलासा करने के लिये आगृह किया परन्तु अप्रार्थी ने जबरन उनके खाते एवं कब्जे काश्त की पश्चिमी मेड़ पर स्थित रास्ते को बंद कर दिया जिसे अप्रार्थी नही खोल रहा है और प्रार्थी द्वारा निवेदन किये जाने पर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकीयां देते है जिसकी वजह से प्रार्थी की कृषि भूमि पडत रह गई है और प्रार्थी के परिवार के समक्ष रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। उपरोक्त परिस्थितियो में प्रार्थी के लिये आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से अप्रार्थी द्वारा पत्थर की कच्ची दीवार बनाकर बंद किये गये रास्ते को खुलासा करवाये ताकि प्रार्थी उसकी कृषि भूमि को काश्त कर सके। यद्यपि प्रार्थी की कृषि भूमि को काश्त करने के लिये व भूमि पर पहुंचने के लिये उपरोक्त वर्णित कदीमी रास्ता ही एक मात्र रास्ता है इसके अलावा विकल्प मे अन्य कोई रास्ता नहीं है परन्तु उक्त रास्ते को अप्रार्थी द्वारा जबरन ताकत के बल पर बंद कर दिया है और रास्ते पर पहुंचने वाले स्थान पर अप्रार्थी ने उनके खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि के पश्चिमी मेड पर रोड के लगवा पत्थर की कच्ची दीवार बनाकर बंद कर दिया है जिसकी वजह से प्रार्थी उसके खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि को काश्त नहीं कर पा रहा है जिसके कारण भूमि पड़त पडी हुई है। वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही होने की वजह से प्रार्थी उसके कब्जे काश्त की कृषि भूमि को काश्त नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी को उसकी भूमि पर कृषि उपकरण ट्रेक्टर, हल, कुली, बेलगांडी आदि ले जाने के लिये एवं भूमि को काश्त करने के लिये रास्ते की आवश्यकता है यद्यपि उपरोक्त वर्णित रास्ता प्रारम्भ से कदीमी रास्ता रहा है जिसे अप्रार्थीगण ताकत के बल पर नही खोलना चाहते है और प्रार्थी से लडाई झगडा कर उसकी कृषि भूमि को पड़त रखना चाहते है। प्रार्थी को उसकी भूमि पर पहुंचने का और भूमि को काश्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है इसीलिये प्रार्थी अन्य किसी भी प्रकार के विवादो से बचने के लिये माननीय न्यायालय से उपरोक्त वर्णित रास्ते की भूमि जो अप्रार्थी के खाते की खसरा नं. 2037 की भूमि के पश्चिमी मेड़ पर से होकर दक्षिण की तरफ जाता है जो कि आगे दक्षिणी पूर्वी कोने से होकर पूर्व दिशा की ओर खसरा नं. 2070 की भूमि में जाकर मिलता है। जिसके लिये प्रार्थी न्यायालय द्वारा निर्धारित किये जाने वाले प्रतिकर की राशि को माननीय न्यायालय के आदेश के मुताबिक अप्रार्थी को अदा किये जाने हेतु पूर्ण रूप से तत्पर व तैयार है। उपरोक्त परिस्थितियो मे प्रार्थी के लिये आवश्यक हो गया है कि वह उक्त रास्ते की भूमि का माननीय न्यायालय की सहायता से प्रतिकर निर्धारित करवाकर रास्ता कायम करवाकर रास्ता खुलासा करवाये। इसीलिये अप्रार्थी के खाते की उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नं. 2037 के पश्चिमी मेड़ व दक्षिणी मेड़ के रास्ते की 15 फुट चौडी भूमि का प्रतिकर निर्धारित किया जाकर रास्ता कायम कर रास्ता खुलासा करवाये। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण 10 दिन पूर्व अप्रार्थी द्वारा उनकी कृषि भूमि के रोड़ के लगवा पश्चिमी मेड़ पर पत्थर की कच्ची दीवार बनाकर प्रार्थी की कृषि भूमि पर पहुंचने का रास्ता बंद कर देने एवं प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते को खुलासा करवाये जाने हेतु आगृह करने पर भी नहीं खोलने एवं प्रार्थी के साथ लडाई झगडा व मारपीट करने पर

आमादा होने पर उत्पन्न हुआ है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है जिसका क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अप्रार्थी के खाते की उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नं. 2037 के पश्चिमी मेड़ व दक्षिणी मेड़ के रास्ते की 15 फुट चौडी भूमि का प्रतिकर निर्धारित किया जाकर रास्ता कायम कर रास्ता खुलासा किया जावे एवं अन्य कोई न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय उचित समझे, प्रार्थी को अप्रार्थीगण से दिलवाई जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.05.2025 के द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता व अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2037 में कायम किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2025 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 12 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हुक्म जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना ही अपीलांट की भूमि ख0नं0 2037 में से रास्ता दिये जाने का निर्णय प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है तथा निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलांट के ख०नं० 2037 में से 15 फीट चौडाई में रास्ता दिये जाने एवं उसकी एवज में रेस्पो० के खाते के ख0नं0 2069 की भूमि में से समान क्षेत्रफल की भूमि अपीलांट के खाते में दर्ज करने का निर्णय प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है तथा निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से रेस्पो० के साथ मिलीभगत कर उक्त रिपोर्ट तैयार की थी

जिस पर किसी भी अवस्था में विश्वास नहीं किया जा सकता था परन्तु फिर भी उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है तथा निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो० के खाते के ख0नं0 2069 व 2070 की भूमि की उत्तर पूर्वी सीमा ही उण्डवा धरनावद मुख्य रोड से लगी हुई है तथा उसी जगह पर स्थित रास्ते से रेस्पो० अपने खेतो में आते जाते है तथा कृषि यंत्र लाते ले जाते है परन्तु इस तथ्य को नजरअन्दाज कर त्रुटिपूर्ण तरीके से ख0नं0 2069 व 2070 की भूमि तक पहुंचने का रास्ता होना नहीं मानकर उक्त निर्णय प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है तथा निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट की भूमि की पश्चिमी सीमा जहां से रास्ता दिये जाने का आदेश दिया है व मुख्य मार्ग से लगवां नहीं है उस स्थान से अपीलांट की भूमि से मुख्य मार्ग तक का रास्ता क्या होगा यह वर्णित किये बिना ही निर्णय प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है तथा निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि उन्होने अपने निर्णय में ख0नं0 2070 के उत्तर पश्चिमी कोने तक ही रास्ता दिया है वहां से रेस्पो० ख0न0 2073, 2072, 2074, 2080 व 2075 की भूमि तक कैसे जायेंगें इस तथ्य को नजरअन्दाज कर अधूरा व त्रुटिपूर्ण निर्णय प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है तथा निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो० द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्टेट ऑफ राज० नेसेसरी पार्टी थी जिसे पक्षकार बनाये बिना उक्त कार्यवाही मेन्टेनेबल नहीं थी तथा प्रार्थना पत्र जोईन्डर ऑफ नेसेसरी पार्टी से बाधित होने से निरस्तनीय था। उक्त तथ्य को नजर अन्दाज कर निर्णय प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है तथा निरस्तनीय है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2025 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 12 ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपनी बहस में लिखित बहस के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किया है वह रास्ता प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता है। उक्त रास्ता प्रारंभ से ही धरनावदा ऊंडवा रोड के दक्षिण की तरफ स्थित खसरा नम्बर 2037 व 2038 की भूमि के मध्य होता हुआ खसरा नम्बर 2037 की भूमि के दक्षिण कोने से होकर पूर्व दिशा की ओर रेस्पोडेन्ट संख्या 9 व 10 की भूमि में जाकर मिलता है और उक्त रास्ते से रेस्पोडेन्टगण प्रारंभ से ही अपने आने जाने एवं कृषि भूमि को काश्त करने हेतु उपयोग में ले रहे है। इसके अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की भूमि में आने जाने हेतु मौके पर विद्यमान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रास्ते के संबंध में रिपोर्ट तलब की गई है। तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा विवादित रास्ते की रिपोर्ट दिनांक 01.05.2025 को विधिवत रूप से तैयार करवाई जाकर अपने पत्र कमांक 131 दिनांक 01.05.2025 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित की गई है। उक्त रिपोर्ट दिनांक 01.05.2025

पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधिवत रूप से तैयार की गई । उक्त मोका रिपोर्ट में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांटगण की भूमि में होने का अंकन है। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 01.05.2025 पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधि अनुसार तैयार की गई है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। प्रश्नगत रास्ता प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है। दिनांक 01.05.2025 को उक्त मोका रिपोर्ट तैयार किए जाने से पूर्व अपीलांट को सूचित किया गया परन्तु अपीलांट जानबूझकर मोके पर उपस्थित नहीं हुआ जिसका अंकन मोका रिपोर्ट दिनांक 01.05.2025 में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट द्वारा मोका रिपोर्ट पर की गई आपत्तियों का विधिवत् रूप से निस्तारण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मोका रिपोर्ट दिनांक 01.05.2025 सक्षम अधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से तैयार करवाई गई है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की भूमि में से रास्ता कायम किए जाने का निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खाारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से स्वयं के खाते की खसरा संख्या 2074, 2069, 2070, 2072, 2073 में आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थी अपीलांट के खाते की खसरा सख्या 2037 में कायम किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट तलब की गई है जो पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 01.05.2025 को तैयार की गई है। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 01.05.2025 में अंकित नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 01.05.2025 में जो रास्ता लाल स्याही से डोटेड लाईन में अंकित किया गया है जो खसरा संख्या 2037 की पश्चिम मेड़ के सहारे होते हुए खसरा संख्या 2067 की उत्तरी मेड़ से होकर खसरा संख्या 2069 में जाना अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में नजरी नक्शे में अंकित डोटेड लाईन वाले रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने का आदेश अंकित किया है। जबकि खसरा संख्या 2037 की पूर्वी मेड़ मुख्य रास्ते की खसरा संख्या 2035 के अधिक निकट स्थित है, अतः ऐसी स्थिति में खसरा संख्या 2037 की पूर्वी मेड़ से होकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की भूमि तक जाने वाला रास्ता निकटतम रास्ता होना प्रकट होता है। परन्तु प्रश्गनत मोका रिपोर्ट दिनांक 01.05.2025 में खसरा संख्या 2037 की पूर्वी मेड़ से होकर

जाने वाले रास्ते के सम्बंध में किसी प्रकार का अंकन नहीं किया गया है। अतः हमारे मत में प्रश्नगत मोका रिपोर्ट दिनांक 01.05.2025 निकटतम रास्ते के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए तैयार नहीं की गई है जो त्रुटिपूर्ण है। उक्त त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट दिनांक 01.05.2025 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के खाते की खसरा संख्या 2037 में रास्ता कायम किए जाने का जो आदेश अपने निर्णय दिनांक 22.05.2025 में अंकित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में विवादित रास्ते के सम्बंध में निकटतम रास्ते के बिन्दु को ध्यान में रखते हुए उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मोका रिपोर्ट तैयार किया जाना आवश्यक है तथा उक्त रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रकट करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 68 से 70 की पालना करते हुए निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 7/2022 में पारित निर्णय 28.05.2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट उभयपक्षकारान की उपस्थिति में वैकल्पिक रास्ते एवं निकटतम रास्ते के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करवाई जावे। मोका रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.12.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा